

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनतपुरम
Office of the Accountant General (Audit I), Kerala,
Thiruvananthapuram

सं.ले.प.।/हिंदी कक्ष/निमलेप/ राजभाषा भारती विशेषांक/2024-25

दिनांक: 05.02.2025

परिपत्र सं. 75/ Circular No. 75

विषय: 'राजभाषा भारती' (राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की पत्रिका) के विशेषांक के लिए आलेख आमंत्रित करने के संबंध में।

Sub: Inviting articles for special edition of 'Rajbhasha Bharati' (Magazine of Dept. of Official Language, M/o Home affairs)- reg

भारत के संविधान की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय अपनी पत्रिका 'राजभाषा भारती' के विशेषांक को भारत के स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान निर्माण में महिलाओं की उपलब्धियों एवं योगदान को समर्पित कर रहा है। इस विशेषांक के लिए निम्नलिखित विषयों पर लेख/शोध आमंत्रित किए जाते हैं :

On the occasion of the diamond jubilee of the Constitution of India, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs is dedicating the issue of its magazine 'Rajbhasha Bharti' to the achievements and contribution of women in India's freedom struggle and constitution making. Articles/research are invited for this special issue on the following topics:

1. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान
2. भारत के संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका
3. भारत के संविधान में महिलाओं को दिए गए अधिकार
4. संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 का महत्व।

लेख मंगल फोन्ट में टाईप किए हुए व्याकरणिक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से सही तथा कम से कम 3000 शब्दों तक हो सकते हैं। शोध से जुड़े लेखों में शब्दों की सीमा 5000 शब्द तक हो सकती है। पत्रिका में लेखों के प्रकाशन के संबंध में अंतिम निर्णय राजभाषा विभाग का होगा। चयनित शोध-लेखों के लेखकों को नियमानुसार मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। जो अधिकारी / कर्मचारी विशेषांक के लिए लेख तैयार करना चाहते हैं वे उपरोक्त शर्तों का ध्यान रखते हुए तैयार किए गए लेख दि. 07-02-2025 तक हिंदी कक्ष को प्रस्तुत करें।

Article typed in Mangal font should be grammatically factually correct and may contain maximum of 3000 words. The word limit in research related articles can be up to 5000 words. The selection of articles will be done by Department of official Language. Honorarium will be given to the authors of selected research articles as per rules. Officers and Officials who would like to contribute articles may submit the articles prepared in lines with the conditions prescribed to Hindi Cell on or before 07-02-2025.

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिन्दी

कक्ष

सेवा में

1. सभी अनुभाग/ All Sections
2. सूचना पट्ट / Notice Board
3. शाखा कार्यालय, तृशूर, कोट्टयम, कोषिकोड, कोची स्थित लेखापरीक्षा । कार्यालय के सभी अनुभाग/
All Sections of Audit I Office at Branch Office, Thrissur, Kottayam, Kozhikode, Kochi.